न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1749–एक/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–6–97 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 155–चार/97.

प्रमोद कुमार जैन पुत्र केशरीचन्दसा जैन
निवासी बॉम्बे बाजार खण्डवा ..... आवेदक

विरूद्ध

1– राजकुमार पिता केशरीचन्दसा जैन
निवासी संगमनेर जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)
2– डॉ0 महेन्द्र कुमार पिता केशरीचन्दसा
निवासी 8 बी मिनिलेट टेंकरो रोड माडूप बाम्बे–78
3– उमेश पिता केशरीचन्दसा जैन
निवासी 45/212 मनीषनगर बासोदा रोड
अंधेरी बम्बई–58 वेस्ट
4– डॉ0 जिनेन्द्र कुमार जैन पिता केशरीचन्दसा जैन
निवासी 10 पो. चौपाटी सौभाग्य क्लिनिक, धार
5– सुमेरचन्द पिता.केशरीचन्दसा जैन
निवासी दीक्षितपुरा परिश्रम जबलपुर
6– कमलचन्द पिता केशरीचन्दसा जैन
निवासी दीक्षितपुरा परिश्रम जबलपुर
7– कमलचन्द पिता केशरीचन्दसा जैन
निवासी रामगंज जैन धर्मशाला के पास, खण्डवा .....अनावेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–97 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक, अधीक्षक, भू–अभिलेख नजूल नवकरण खडवा द्वारा प्रकरण कमांक 329/अ–20(1)/65–66 में पारित आदेश दिनांक 19–4–1966 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा के समक्ष दिनांक 9–1–91 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–6/90–91 दर्ज कर दिनांक 31–1–96 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए सहायक, अधीक्षक, भू–अभिलेख नजूल का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर व नामांतरण नियमों के तहत विधिवत कार्यवाही कर आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–4–97 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27–6–97 को आदेश पारित कर निरस्त की गई । इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को आवेदक के नामांतरण के संबंध में पूर्व से ही जानकारी थी । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील में केताओं को, जो कि हितबद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि लगभग 25 वर्ष का विलम्ब किस आधार पर सद्भाविक होकर क्षमा योग्य था, इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों 1989 आर.एन. 1990 आर.एन. 11 पर विचार किये बिना एवं अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगाये बिना ही आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में जो आधार उठाये गये थे, उन पर इस न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं कर, आदेश पारित किया गया है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि होने से पुनर्विलोकन योग्य है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया

है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी वारिसानों को सुनकर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27–6–97 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का का कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा पुनर्विलोकन में ऐसा कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है कि निगरानी में पारित आदेश में परिवर्तन किया जा सके । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–97 स्थिर रखा जाता है । पुनर्विलोकन निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर